

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 3082 / 2024 दिनांक : 19.09.2024


श्री दीपक कुमार (RJ00302), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, हनुमानगढ़ को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:—

1. दिनांक 29.07.2024 का एक दिवस का **उपार्जित अवकाश** दिनांक 27.07.2024 से 28.07.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित।
2. दिनांक 30.07.2024 से 03.08.2024 तक **05** दिनों का **परावर्तित अवकाश** दिनांक 04.08.2024 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति सहित।

श्री कुमार की अनुपस्थिति में अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, हनुमानगढ़ ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, हनुमानगढ़ के पद पर ही की गई।

आज्ञा से


रजिस्ट्रार (विर्गीकरण)

कमांक:—स्था.बी.2(4)/05/2000/ 7345

दिनांक : 19.09.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, हनुमानगढ़ को उनके पत्रांक 173 दिनांक 05.08.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्री दीपक कुमार (RJ00302), विशिष्ट न्यायाधीश, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम-2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम-2005, हनुमानगढ़।
4. अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश कम-01, हनुमानगढ़।


सहायक रजिस्ट्रार